[2021] 11 एस. सी. आर 42

हसमत अली

बनाम

अमीना बीबी और ओआरएस।

(2021 की सिविल अपील संख्या 7109)

29 नवंबर, 2021

[एस. अब्दुल नजीर और कृष्णा मुरारी, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - s.100 और Or.XLII, rr। 1 3 तक-यह घोषणा करने के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था कि प्रतिवादी एक था

वादी का किरायेदार 31.03.2003 तक, वाद अनुसूचित संपत्ति से प्रतिवादी की बेदखली और कुछ अन्य राहतों के लिए-विचारण न्यायालय ने मुकदमे का आंशिक रूप से फैसला सुनाया और प्रतिवादी को वाद की दुकान के खाली कब्जे को वादी को देने का निर्देश दिया गया-- प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा दायर दूसरी अपील में,

-

उक्त अपील को इसके निष्कर्ष के लिए कोई कारण बताए बिना सीमित रूप से खारिज कर दिया गया था-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि अपील में कोई ठोस कानून शामिल नहीं है, उच्च न्यायालय को कारणों को दर्ज करना होगा-निष्कर्ष के लिए कारण देना आवश्यक है क्योंकि इससे प्रतिकूल रूप से प्रभावित पक्ष को समझने में मदद मिलती है।

उनकी दलीलें क्यों स्वीकार नहीं की गईं-न्यायालय को प्रवेश स्तर पर अपील को खारिज करते समय भी अपने सचेत विवेक का प्रदर्शन करना चाहिए-इस प्रकार, उच्च न्यायालय अपनी निष्कर्ष के लिए कोई कारण बताए बिना दूसरी अपील को सीमित रूप से खारिज नहीं कर सकता है-उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और मामले को कानून के अनुसार नए सिरे से निपटारे के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया जाता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

लॉ डिक्शनरी (7 वां संस्करण) एक अपील को "एक ऐसी कार्यवाही के रूप में परिभाषित करता है जो किसी निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए की जाती है। उच्च अधिकारी "। अपील उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी संभावित सुधार के लिए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की न्यायिक जांच है।

अपील के तहत आदेश में त्रुटि। कानून उपाय प्रदान करता है

42 हसमत अली बनाम। अमीना बीबी और ओआरएस।

इस मान्यता के कारण कि न्यायिक स्तरों का प्रबंधन करने वाले भी गलतियाँ करते हैं, एक अपील का। [पैरा 11] [47-सी-ई]

2. सी. पी. सी. के आदेश एक्स. एल. आई. आई. में अपीलीय फरमानों की अपीलों पर निर्णय लेते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान है। यह.

यह बताता है कि आदेश XLI के नियम, जहाँ तक हो सके, लागू होंगे: अपीलीय फरमानों की अपीलों के लिए। "जहाँ तक हो सके" या "जहाँ तक हो सके" जैसे शब्दों का अर्थ है 'उतना' या 'हद तक' या 'इतनी हद तक'। आदेश XLII नियम 1 के आधार पर, के प्रावधान

आदेश एक्स. एल. आई. दूसरी अपील पर भी लागू होता है, हालांकि पूरी तरह से नहीं, लेकिन कुछ हद तक। आदेश XLII में निहित जनादेश को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय को दूसरी अपील की सुनवाई करते हुए, आदेश XLI में निहित प्रक्रिया का यथासंभव पालन करना होगा। [पैरा 12] [48-ए-सी]

3. सी. पी. सी. की धारा 100 उच्च न्यायालय से संपर्क करके और उसकी सहायता का आह्वान करके दूसरी अपील के अधिकार का प्रावधान करती है और

अधीनस्थ न्यायालय की त्रुटियों के निवारण के लिए हस्तक्षेप, उसमें प्रदान की गई सीमाओं के अधीन। सी. पी. सी. की धारा 100 के तहत एक अपील नीचे दिए गए न्यायालयों के 'समवर्ती निष्कर्षों' या 'भिन्न निष्कर्षों' दोनों के खिलाफ दायर की जा सकती है। की उप-धारा (1)

सी. पी. सी. की धारा 100 में कहा गया है कि दूसरी अपील पर उच्च न्यायालय द्वारा तभी विचार किया जाएगा जब उच्च न्यायालय

इस बात से संतुष्ट कि मामले में 'कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है'। इसलिए, सी. पी. सी. की धारा 100 के तहत एक अपील पर विचार करने के लिए, यह मायने नहीं रखता है कि क्या यह नीचे दिए गए न्यायालयों के 'समवर्ती निष्कर्षों' या 'अलग-अलग निष्कर्षों' के खिलाफ है। यह अनावश्यक है।

यह कहने के लिए कि जब तथ्य के किसी भी समवर्ती निष्कर्ष की अपील की जाती है, तब भी अपीलकर्ता को यह इंगित करने का अधिकार है कि यह कानूनी रूप से गलत है क्योंकि यह अभिवचनों को दर्ज किया गया था, या यह किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं था या यह भौतिक दस्तावेजी साक्ष्य के गलत अध्ययन पर आधारित था या यह कानून के प्रावधान के खिलाफ दर्ज किया गया था या निर्णय ऐसा है जिस पर कोई भी न्यायाधीश न्यायिक रूप से कार्य करना उचित नहीं था। एक बार जब उच्च न्यायालय अपील की

सुनवाई के बाद संतुष्ट हो जाता है कि अपील में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, तो उसे उस प्रश्न को तैयार करना होगा और प्रतिवादी को सीधे नोटिस जारी करना होगा। [पैरा 13] [48-सी-जी]

4. यदि अपील में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं है, तो उच्च न्यायालय के पास [2021] 11 एस. सी. आर. को खारिज करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपील की। हालांकि, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि अपील में कोई ठोस कानून शामिल नहीं है, उच्च न्यायालय को कारणों को दर्ज करना होगा। निष्कर्ष के लिए कारण देना आवश्यक है क्योंकि इससे प्रतिकूल रूप से प्रभावित पक्ष को समझने में मदद मिलती है।

उनकी दलीलें क्यों स्वीकार नहीं की गईं। प्रवेश स्तर पर अपील को खारिज करते समय भी न्यायालय को अपने विवेकपूर्ण व्यवहार को प्रदर्शित करना चाहिए। इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय दूसरी अपील को बिना कोई निर्दिष्ट किए सीमित रूप से खारिज नहीं कर सकता है। इसके निष्कर्ष के कारण। [पैरा 14] [48-जी-एच; 49-ए]

शंकर रामचंद्र अभ्यंकर बनाम। कृष्णाजी

दत्तात्रेय बापट (1969) 2 एससीसी 74: [1970] 1 एससीआर 322;

सूरत सिंह (मृत) बनाम। सिरी भगवान और अन्य (2018)

4 एस. सी. सी. 562 [2018] 1 एस. सी. आर. 1063-पर निर्भर था।

मामला कानून संदर्भ

[1970] 1 एससीआर 322

उस पर भरोसा करें

पैरा 11

[2018] 1 एससीआर 1063

उस पर भरोसा करें

पैरा 15

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 7109

2021 से।

उच्च न्यायालय के 31.07.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 के आर. एस. ए. सं. 403 में उड़ीसा, कटक।

जगजीत सिंह छाबड़ा, सक्षम माहेश्वरी, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

ऋत्विक पांडा, सुश्री निखार बेरी, सुश्री अंशु मलिक, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाताओं।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. अब्दुल नजीर, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील दिनांकित 31.07.2019 आदेश के खिलाफ की जाती है।

कटक में उड़ीसा के उच्च न्यायालय द्वारा 2017 की नियमित दूसरी अपील संख्या 403 में पारित किया गया, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपील को सीमित रूप से खारिज कर दिया था, जिससे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, राउरकेला द्वारा 2015 के आर. एफ. ए. संख्या 15 में पारित निर्णय की पुष्टि की गई थी।

हसमत अली बनाम। अमीना बीबी और ओआरएस। [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

3. स्वर्गीय मो. मुकीम, जिसकी मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई थी, वादी था।

और हसमत अली दीवानी न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रभाग, राउरकेला की फाइल पर 2009 के दीवानी मुकदमा संख्या 15 में प्रतिवादी थे। यह मुकदमा यह घोषणा करने के लिए दायर किया गया था कि प्रतिवादी 31.03.2003 तक वादी का किरायेदार था, प्रतिवादी को वाद अनुसूचित संपत्ति से बेदखल करने और कुछ अन्य राहतों के लिए। प्रतिवादी ने उक्त मुकदमे में उपस्थिति दर्ज की और लिखित बयान दायर किया। मुकदमे के बाद, मुकदमे को आंशिक रूप से 21.07.2015 पर घोषित किया गया था और प्रतिवादी को मुकदमे की दुकान के खाली कब्जे को वादी को देने का निर्देश दिया गया था।

4. प्रतिवादी ने अपील दायर करके उक्त फैसले को चुनौती दी

और अपीलीय न्यायालय ने 04.08.2017 पर अपील को खारिज कर दिया। के लिए मामले के अन्य तथ्यात्मक मैट्रिक्स को दर्ज करना अनावश्यक है

उद्देश्य

इस अपील में शामिल प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए।

5. प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष नियमित दूसरी अपील दायर की

न्यायालय और उच्च न्यायालय ने उक्त अपील को सीमित रूप से खारिज कर दिया। अपील को खारिज करने वाला उच्च न्यायालय का आदेश इस प्रकार है:

2017 का आर. एस. ए. सं. 403

एस. आई. की संख्या

तिथि

संकेत के साथ आदेश

कार्यालय नोट के रूप में
कार्रवाई (यदि कोई हो) की गई

आदेश दें

आदेश दें

ऑर्डर पर

श्री मिश्रा को सुना, विद्वान वरिष्ठ वकील

9

31.07.2019

अपीलार्थी।

यहाँ और जा रहे प्रस्तुतिकरण पर विचार करते हुए

दूसरी अपील को स्वीकार करने के लिए कानून का प्रश्न जिसे दूसरी अपील खारिज कर दी जाती है।

एसडी /

6. उच्च न्यायालय के आदेश को प्रतिवादी द्वारा चुनौती दी गई है

मुख्य रूप से इस आधार पर कि यह किसी भी कारण से समर्थित नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष भी कानूनी रूप से खराब हैं। वे प्रस्तुत करते हैं कि अपील में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं और उच्च न्यायालय को कानून के इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए अपील पर विचार करना चाहिए था। यह तर्क दिया गया कि, किसी भी तरह से, उच्च न्यायालय अपील को सीमित रूप से खारिज करने में उचित नहीं था।

7. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. आग्रह की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए, उपहास के लिए एकमात्र सवाल यह है कि क्या उच्च न्यायालय को खारिज करने में उचित था

डी अपील, सी. पी. सी. की धारा 100 के तहत दायर, सीमित रूप से।

9. सी. पी. सी. की धारा 100 निम्नानुसार हैः

" 100. दूसरी अपील। — (1) इस संहिता के मुख्य भाग में या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी भी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी, यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि मामला शामिल है।

कानून का एक महत्वपूर्ण सवाल।

(2) इस धारा के तहत अपीलीय याचिका दायर की जा सकती है।

एकतरफा आदेश पारित किया गया।

(3) इस धारा के तहत एक अपील में, अपील के ज्ञापन में शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न का सटीक उल्लेख किया जाएगा।

अपील की।

(4) जहाँ उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि किसी भी मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, वह उस प्रश्न को तैयार करेगा।

(5) इस प्रकार तैयार किए गए प्रश्न पर अपील की सुनवाई की जाएगी और प्रतिवादी को अपील की सुनवाई पर अनुमति दी जाएगी।

यह तर्क देने के लिए कि मामले में ऐसा प्रश्न शामिल नहीं है:

बशर्ते कि इस उप-धारा की कोई भी बात कारणों से सुनवाई करने की न्यायालय की शक्ति को छीनने या कम करने वाली नहीं मानी जाएगी। अभिलिखित किए जाने के लिए, कानून के किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपील, जो इसके द्वारा तैयार नहीं की गई है, यदि यह संतुष्ट है कि मामले में शामिल है

ऐसा सवाल "।

10. सी. पी. सी. के आदेश XLII के नियम 1 से 3 में प्रक्रिया का प्रावधान है।

निम्नलिखित शर्तों में दूसरी अपील स्वीकार करना:

" ऑर्डर XLII

अपीलीय फरमानों से आवेदन

प्रक्रिया। आदेश एक्स. एल. आई. के नियम लागू होंगे, जहाँ तक

1 .

अपीलीय फरमानों से अपील हो सकती है।

2 .

अपील पर सुनवाई करने का निर्देश देने की न्यायालय की शक्ति उसके द्वारा तैयार किया गया प्रश्न। — एच. ए. एस. एम. ए. टी. ए. एल. आई. बनाम की सुनवाई के लिए आदेश एक्स. एल. आई. के नियम 11 के तहत आदेश देते समय।

अमीना बीबी और ओआरएस। [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

दूसरी अपील, न्यायालय धारा 100 द्वारा आवश्यक कानून के सारवान प्रश्न को तैयार करेगा, और ऐसा करते हुए, न्यायालय निर्देश दे सकता है कि इस प्रकार बनाए गए प्रश्न पर दूसरी अपील की सुनवाई की जाए और अपीलार्थी के लिए यह खुला नहीं होगा कि वह प्रावधान के अनुसार दी गई अदालत की अनुमति के बिना अपील में किसी अन्य आधार का आग्रह करे।

धारा 100।

आदेश एक्स. एल. आई. के नियम 14 का अनुप्रयोग। - में संदर्भ

3 .

प्रथम दृष्टांत न्यायालय के आदेश XLI के नियम 14 का उप-नियम (4), किसी अपीलीय डिक्री या आदेश से अपील के मामले में, उस न्यायालय के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा, जिसके लिए मूल डिक्री से अपील की गई थी।

या आदेश "।

11. उपरोक्त प्रावधानों, विशेष रूप से सी. पी. सी. की धारा 100 की उप-धारा (5) से यह स्पष्ट है कि अपील की सुनवाई केवल

उच्च न्यायालय द्वारा उसकी उप-धारा (4) के तहत तैयार किए गए प्रश्न। सी. पी. सी. में 'अपील' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी (7 वां संस्करण) एक अपील को "एक उच्च प्राधिकारी के पास लाकर निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए की गई कार्यवाही" के रूप में परिभाषित करता है। अ.

अपील एक उच्च न्यायालय द्वारा एक निर्णय की न्यायिक परीक्षा है अधीनस्थ न्यायालय अपील के तहत आदेश में किसी भी संभावित त्रुटि को सुधारने के लिए। कानून मान्यता के कारण अपील का उपचार प्रदान करता है

कि न्यायिक स्तरों का प्रबंधन करने वाले भी गलतियाँ करते हैं। शंकर रामचंद्र अभ्यंकर बनाम। कृष्णाजी दत्तात्रेय बापट 1, यह इस प्रकार आयोजित किया गया था:

" 5 ..... संविधान पर कहानी के प्रसिद्ध कार्य में (का

संयुक्त राज्य अमेरिका), वॉल्यूम। 2 , अनुच्छेद 1761 में कहा गया है कि अपीलीय क्षेत्राधिकार की आवश्यक कसौटी यह है कि यह पहले से स्थापित किसी मामले में कार्यवाही को संशोधित और सही करता है और ऐसा नहीं बनाता है कि

कारण। अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जा सकता है और वास्तव में, किसी भी रूप में जिसमें विधानमंडल निर्धारित करने का विकल्प चुन सकता है। अनुच्छेद 1762 के अनुसार अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के सबसे सामान्य तरीके, कम से कम वे जो सबसे अधिक हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में ज्ञात , त्रुटि के एक रिट द्वारा, या एक अपील द्वारा, या एक निम्न न्यायाधिकरण से एक मुकदमे को हटाने की कुछ प्रक्रिया द्वारा हैं।

एक अपील नागरिक कानून की उत्पत्ति की एक प्रक्रिया है और एक कारण को हटा देती है,

1 1969 (2) एस. सी. सी. 74 [2021] 11 एस. सी. आर.

पूरी तरह से तथ्य के साथ-साथ कानून की समीक्षा और पुनः परीक्षण।

12. सी. पी. सी. का आदेश XLII प्रक्रिया के लिए प्रदान करता है

अपीलीय फरमानों से अपीलों का निर्णय लेते समय इसका पालन किया गया। इसमें कहा गया है कि आदेश एक्स. एल. आई. के नियम अपीलों पर जहां तक हो सके लागू होंगे।

अपीलीय फरमानों से। "जहाँ तक हो सके" या "जहाँ तक हो" जैसे शब्दों का अर्थ है 'उतना' या 'हद तक' या 'इतनी हद तक'। आदेश XLII नियम 1 के आधार पर, आदेश XLI के प्रावधान दूसरे पर लागू होते हैं।

अपील भी, हालांकि उनकी संपूर्णता में नहीं, लेकिन कुछ हद तक। आदेश XLII में निहित जनादेश को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय को दूसरी अपील की सुनवाई करते हुए, आदेश XLI में निहित प्रक्रिया का यथासंभव पालन करना होगा।

13. सी. पी. सी. की धारा 100 उच्च न्यायालय से संपर्क करके और उसकी सहायता और हस्तक्षेप का आह्वान करके दूसरी अपील के अधिकार का प्रावधान करती है।

अधीनस्थ न्यायालय की निवारण त्रुटियाँ, उसमें प्रदान की गई सीमाओं के अधीन। सी. पी. सी. की धारा 100 के तहत अपील दोनों दायर की जा सकती है।

निम्नलिखित न्यायालयों के 'समवर्ती निष्कर्षों' या 'भिन्न निष्कर्षों' के विरुद्ध। सी. पी. सी. की धारा 100 की उप-धारा (1) में कहा गया है कि दूसरी अपील पर उच्च न्यायालय द्वारा तभी विचार किया जाएगा जब उच्च न्यायालय न्यायालय संतुष्ट है कि मामले में 'कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है'। इसलिए, सी. पी. सी. की धारा 100 के तहत एक अपील पर विचार करने के लिए, यह मायने नहीं रखता है कि क्या यह नीचे दिए गए न्यायालयों के 'समवर्ती निष्कर्षों' या 'अलग-अलग निष्कर्षों' के खिलाफ है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब तथ्य के किसी भी समवर्ती निष्कर्ष की अपील की जाती है, तब भी अपीलार्थी को यह इंगित करने का अधिकार है कि यह कानूनी रूप से गलत है क्योंकि यह अभिवचनों को दर्ज किया गया था,

या यह किसी साक्षय पर आधारित नहीं था या यह भौतिक दस्तावेजी साक्षय के गलत अध्ययन पर आधारित था या इसे कानून के प्रावधान के खिलाफ दर्ज किया गया था या निर्णय ऐसा है जिस पर न्यायिक रूप से कार्य करने वाला कोई भी न्यायाधीश यथोचित रूप से नहीं पहुंच सकता था। एक बार जब उच्च न्यायालय अपील की सुनवाई के बाद संतुष्ट हो जाता है कि अपील में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, तो उसे उस प्रश्न को तैयार करना होगा और प्रतिवादी को सीधे नोटिस जारी करना होगा।

14. यदि अपील में ए. डब्ल्यू. का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं है, तो उच्च न्यायालय के पास अपील को खारिज करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।

हालांकि, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि अपील नहीं है

कानून के किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से को शामिल करते हुए, उच्च न्यायालय को कारणों को दर्ज करना होता है। निष्कर्ष के लिए कारण देना आवश्यक है क्योंकि इससे प्रतिकूल रूप से प्रभावित पक्ष को यह समझने में मदद मिलती है कि उसकी दलीलें क्यों स्वीकार नहीं की गईं। अदालत को अपने मन के सचेत अनुप्रयोग को प्रदर्शित करना चाहिए, भले ही हसमत अली बनाम।

अमीना बीबी और ओआरएस। [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

प्रवेश स्तर पर अपील जारी करना। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय

ओ. टी. बिना कोई कारण बताए सीमा में दूसरी अपील को खारिज कर देता है एस निष्कर्ष।

15. सूरत में सिंह (मृत) बनाम। सिरी भगवान और अन्य 2, यह

टी ने निर्धारित किया है कि दूसरी अपील को खारिज किए बिना

तथापि, उच्च न्यायालय को कारण निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है। यह इस प्रकार आयोजित किया गया था:

" 29. धारा 100 की योजना यह है कि एक बार उच्च न्यायालय

संतुष्ट है कि अपील में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है,

ऐसे प्रश्न को उप-धारा (4) के तहत तैयार करना होगा। खंड 100। यह प्रश्न का प्रारूपण है जो सशक्त बनाता है

इसलिए, उप-धारा (4) और (5) में विहित अनिवार्य हैं। और उसमें निर्धारित तरीके से पालन किया जाना चाहिए। वास्तव में,

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दूसरी अपील पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र

अंततः कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार होने के बाद ही उत्पन्न होता है।

उप-धारा (4) के तहत। एक मामला हो सकता है और वास्तव में वहाँ हैं ऐसे मामले जहां कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने के बाद भी,

उप-धारा (5) के तहत उत्तरदाताओं को सुनने के बाद ही। 30. यदि, तथापि, उच्च न्यायालय सुनवाई के बाद संतुष्ट हो जाता है

अपीलार्थी स्वीकार करने के समय कि अपील करता है

कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं है, तो ऐसी अपील

बिना किसी सूचना के सीमा में बर्खास्त किए जाने के लिए उत्तरदायी है

बर्खास्तगी आदेश में एक निष्कर्ष दर्ज करने के बाद उत्तरदाता

कि अपील में कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं है

उप-धारा (4) के अर्थ के भीतर कानून। यह अनावश्यक है।

यह कहने के लिए कि इस तरह के आदेश को सीमा में पारित करने के लिए, उच्च न्यायालय

इसके समर्थन में कारण निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है

निष्कर्ष "।

(जोर दिया गया)

16. तत्काल मामले में, चूंकि उच्च न्यायालय ने कोई कार्य नहीं सौंपा है

अपील को खारिज करने के लिए, आदेश को दरकिनार करने की आवश्यकता है।

अत:, अपील सफल होती है और तदनुसार इसकी अनुमति दी जाती है। यह आदेश

उच्च न्यायालय दिनांकित 31.07.2019 को दरकिनार कर दिया गया है और मामला प्रेषित कर दिया गया है।

ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में I के अनुसार नए सिरे से निपटान के लिए उच्च न्यायालय को वापस। कोई सी नहीं होगा

लागतें।

अंकित ज्ञान

ऐप